भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3607
दिनांक 21.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीय अप्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा

3607. **श्री एस. जगतरक्षकन:**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय श्रमिकों को खाड़ी देशों में अमानवीय कार्य स्थितियों में धकेला जा रहा है;
(ख) यदि हां, तो इस मुद्दे को हल करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वार खाड़ी देशों और पश्चिम एशिया में मौजूद शोषणकारी कफाला प्रणाली की समस्या का समाधान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार उत्प्रवास मंजूरी में खामियों को दूर करने में सफल रही है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में काम करने वाले श्रम ठेकेदार और अभिकर्ता द्वारा प्राय: इन सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर दिया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क) से (ग) यह देखा गया है कि खाड़ी देशों सहित विदेशों में कुछ भारतीय कामगारों को कई बार अमानवीय कार्य परिस्थितियों के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इनमें से अधिकांश शिकायतें श्रम विवादों जैसे भुगतान में देरी या वेतन का भुगतान न करना साथ ही सेवा समाप्ति के पश्चात के लाभ, पासपोर्ट को अनधिकृत रूप से रोके रखना, अधिक कार्य समय, छुट्टियों का प्रावधान न करना, समयोपरि भत्ता न देना, भर्ती के समय किए गए वादे से भिन्न नौकरी की पेशकश करना, कंपनियों के अचानक बंद होने के कारण बेरोजगारी, नियोक्ता बदलने में समस्या, आवास से संबंधित समस्या, वैध श्रम अधिकारों से वंचित करना, दुर्व्यवहार/उत्पीड़न, निवास परमिट जारी न करना/नवीनीकृत न करना, वीजा रद्द न करना, भारत आने के लिए प्रस्थान/पुनः प्रवेश परमिट देने से इनकार करना, संविदा पूरा होने के

बाद प्रस्थान वीजा पर भारत लौटने की अनुमति न देना, चिकित्सा और बीमा सुविधाओं का प्रावधान न करना तथा मृत्यु होने पर मुआवजा न दिया जाना आदि से संबंधित हैं ।

भारत सरकार विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है तथा उनके रहने और काम करने की स्थितियों की निगरानी के लिए सशक्त तंत्र मौजूद है। विदेशों में स्थित भारतीय मिशन और केंद्र सतर्क रहते हैं और विदेशों में भारतीय नागरिकों से यदि कोई शिकायत प्राप्त हो, तो उसकी सक्रिय रूप से निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं। शिकायतें विभिन्न चैनलों जैसे आपातकालीन टेलीफोन नंबर, वॉक-इन, ई-मेल, सोशल मीडिया, 24x7 बहुभाषी हेल्पलाइन और ओपन हाउस आदि के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं और उनका उत्तर दिया जाता है। सरकार ने किसी भी पीड़ित भारतीय नागरिक को अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कराने में सक्षम बनाने के लिए मदद और ई-माइग्रेट जैसे पोर्टल स्थापित किए हैं। विदेशों में भारतीय कामगारों को सभी मामलों पर मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए दुबई (यूएई), रियाद, जेद्दा (सऊदी अरब अधिराज्य) और कुआलालंपुर (मलेशिया) में प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके) स्थापित किए गए हैं। खाड़ी देशों में सभी भारतीयों मिशनों में समर्पित श्रमिक स्कंध हैं।

किसी भी भारतीय नागरिक के संकट में होने की सूचना मिलने पर, विदेश में संबंधित भारतीय मिशन/केंद्र तुरंत उस व्यक्ति, स्थानीय विदेश कार्यालय और संबंधित स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करता है ताकि मामले के तथ्यों का पता लगाया जा सके और भारतीय नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। प्रत्येक संभावित कोंसली सहायता प्रदान करने के अलावा, मिशन/केंद्र जहां भी आवश्यक हो, विधिक सहायता प्रदान करने में भी मदद करता है। मिशन/केंद्र स्थानीय अधिवक्ताओं का एक पैनल भी रखता है, जहां भारतीय समुदाय बड़ी संख्या में है।

भारतीय मिशन/केंद्र नियमित रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में ओपन हाउस और कोंसली कैंप आयोजित करते हैं ताकि विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों से फीडबैक लिया जा सके और उनकी शिकायतों का समाधान किया जा सके। शिकायत मिलने पर, इसे संबंधित विदेशी नियोक्ता (एफई) के साथ सक्रिय रूप से उठाया जाता है और यदि आवश्यक हो, तो पीड़ित कर्मचारी के कार्यस्थल का दौरा भी किया जाता है। रोजगार संबंधी मुद्दों से संबंधित शिकायतों को स्थानीय श्रम विभाग और मेजबान देश के अन्य संबंधित प्राधिकारी के साथ भी उठाया जाता है ताकि उसका तुरंत समाधान किया जा सके।

भारतीय मिशन/केंद्र समय-समय पर भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) का उपयोग विदेश में संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों को योग्य मामलों में वित्तीय और विधिक सहायता प्रदान करने के लिए करते हैं। आईसीडब्ल्यूएफ के तहत, मुख्य सहायता में भोजन एवं आवास, भारत के लिए हवाई टिकट, विधिक सहायता, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल, पार्थिव शरीर को भारत वापस लाने तथा छोटे जुर्माने और दंड का भुगतान शामिल है। आईसीडब्ल्यूएफ के स्थापना के बाद से, सितंबर 2024 तक कुल 3,53,369 भारतीय नागरिकों को सहायता प्रदान की गई जिसमें 683 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय हुआ।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय कामगारों को कफ़ाला प्रणाली से उत्पन्न होने वाले दुर्व्यवहारों का सामना न करना पड़े तथा अधिक लचीले और न्यायसंगत श्रम कानूनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्थानीय सरकार के साथ निरंतर बातचीत की जाती है।

(घ) ईसीआर पासपोर्ट धारक और 18 अधिसूचित ईसीआर देशों में से किसी में प्रवास करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए उत्प्रवास स्वीकृति (ईसी) प्रदान करने सहित विदेशी रोजगार की प्रक्रिया ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से की जाती है। वेब-आधारित एप्लिकेशन उत्प्रवास की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी, सुरक्षित, वैध, मानवीय, कुशल, सुविधाजनक और तेज बनाता है । यह विदेशी नियोक्ताओं (एफई), पंजीकृत भर्ती एजेंटों (आरए) और संभावित प्रवासियों सहित सभी हितधारकों को एक साझा मंच पर लाता है तथा विदेश मंत्रालय को व्यापक और ऑनलाइन डेटाबेस सहेजने में सक्षम बनाता है। 14 अक्टूबर 2024 को एक अद्यतन, नया और उपयोगकर्ता के अनुकूल ईमाइग्रेट-V2.0 वेब पोर्टल की शुरुआत की गई। पहली बार ईमाइग्रेट मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है और यह सभी ऐप स्टोर पर ऑनलाइन उपलब्ध है। यह ऐप हितधारकों को पोर्टल पर उपलब्ध प्रमुख सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करता है जिसमें आवेदन की स्थिति पर नज़र रखना, पंजीकृत और अपंजीकृत भर्ती एजेंटों की सूची प्राप्त करना, शिकायत दर्ज करना आदि शामिल हैं।

*****